2010:CGHC:20

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर **प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6372 / 2007

याचिकाकर्ता: नागेश्वर प्रसाद त्रिपाठी।

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य।

---

16 मार्च, 2010 को आदेश हेतु सूचीबद्ध करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

2010:CGHC:20

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6372 / 2007

याचिकाकर्ता: नागेश्वर प्रसाद त्रिपाठी।

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

उपस्थित: श्री पराग कोटेचा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।
श्री ए.वी. श्रीधर, राज्य/उत्तरवादी 1 से 5 के पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(16 मार्च, 2010 को सुनाया गया)

1 इस याचिका के द्वारा, याचिकाकर्ता ने अधिक्षक, जिला जेल, वर्ग I, जगदलपुर, जिला बस्तर के दिनाँक 16.09.1982 (अनुलग्नक पी/9) के आदेश को अभिखंडित करने के लिए सर्टिओरारी प्रकृति की एक रिट जारी करने कि मांग की है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था तथा महानिरीक्षक, जेल, छत्तीसगढ़ के दिनाँक 12.09.2007 के आदेश (अनुलग्नक पी/12) को निरस्त कर दिया गया था, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की दिनाँक 16.09.1982 के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गई थी।

2. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्य संक्षेप में यह हैं कि याचिकाकर्ता को वर्ष 1967 में अधीक्षक, केंद्रीय जेल, रायपुर द्वारा जेल प्रहरी के रूप में नियुक्त किया गया था। दिनाँक 8.12.1980 (अनुलग्नक पी/1) को, याचिकाकर्ता ने महानिदेशक, जेल को श्री हरवानी, तत्कालीन अधीक्षक, जिला जेल, जगदलपुर के विरुद्ध कुछ भ्रष्ट आचरण के संबंध में शिकायत की। याचिकाकर्ता के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप, उसे अगले ही दिन, अर्थात् दिनाँक 09.12.1980 (अनुलग्नक पी/2) को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता को दिनाँक 15.12.1980 को आरोप पत्र जारी किया गया। याचिकाकर्ता को दिनाँक 24.01.1981 (अनुलग्नक पी/3) के आदेश द्वारा जिला जेल, अंबिकापुर में संलग्न करने का आदेश दिया गया और दिनाँक 21.12.1981 को दूसरा आरोप पत्र भी जारी किया गया। बाद में, याचिकाकर्ता को दिनाँक 27.5.1982 (अनुलग्नक पी/4) के आदेश द्वारा केंद्रीय जेल, रायपुर स्थानांतरित कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. निलंबन अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता को कोई निर्वाह भत्ता नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता ने दिनाँक 7.7.1982 (अनुलग्नक पी/6) को अपना जवाब दायर किया जिसमें कहा गया था कि निर्वाह भत्ता का भुगतान न होने के कारण, उनके लिए विभागीय कार्यवाही में उपस्थित होना मुश्किल था। इसके अलावा, दिनाँक 28.7.1982 (अनुलग्नक पी/7) को, याचिकाकर्ता ने जांच अधिकारी को बदलने के लिए एक आवेदन दिया। निर्वाह भत्ता प्रदान करने के लिए, याचिकाकर्ता ने एक रिट याचिका दायर की, जो रिट याचिका क्रमांक 1388/1982 थी। दिनाँक 17.12.1982 (अनुलग्नक पी/8) को, रिट याचिका की सुनवाई के दौरान, राज्य के अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को 3190/- रुपये की राशि सौंपी और तदनुसार, उक्त रिट याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद, प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर दिए बिना, जांच कार्यवाही समाप्त कर दी और याचिकाकर्ता को अधीक्षक, जिला जेल, प्रथम श्रेणी, जगदलपुर द्वारा

पारित दिनांक 16.09.1982 (अनुलग्नक पी/9) के आदेश द्वारा सेवा से हटा दिया गया, जो याचिकाकर्ता के अनुसार, निष्कासन आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं है।

4. उक्त आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने दिनाँक 30.12.1982 को पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष अपील दायर की। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा लंबे समय तक इसका निर्णय नहीं किया गया। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष दूसरी रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो कि रिट याचिका क्रमांक 532/2005 थी, जिसका इस न्यायालय ने दिनांक 12.04.2007 (अनुलग्नक पी/10) के आदेश के द्वारा निराकृत कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता को 15 दिनों की अवधि के भीतर एक नई अपील दायर करने का निर्देश दिया गया और उसमें उत्तरवादी प्राधिकारियों को अपील प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर विधि के अनुसार इसका निर्णय करने का निर्देश दिया गया, यदि कोई हो। उक्त आदेश के अनुसरण में याचिकाकर्ता ने जेल महानिरीक्षक के समक्ष एक नई अपील दायर की, जो अनुलग्नक पी/11 से स्पष्ट है। उक्त अपील महानिदेशक, जेल, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा दिनांक 12.09.2007 (अनुलग्नक पी/12) के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी। इसलिए, यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कोटेचा ने तर्क दिया कि विभागीय जाँच की कार्यवाही समाप्त करने से पूर्व याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। जाँच अधिकारी ने विभागीय जाँच प्रक्रिया के सुस्थापित मानदंडों के विपरीत, जेल अधीक्षक, जिनके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी, की सनक और कल्पनाओ के आधार पर कार्यवाही किया है। याचिकाकर्ता को केवल इस आधार पर निलंबित किया गया है कि उसने जेल प्राधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध शिकायत की थी।

6. श्री कोटेचा ने आगे तर्क दिया कि निलंबन के दौरान याचिकाकर्ता नियमित रूप से जाँच कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ और उसे उसकी पात्रता के अनुसार निर्वाह भत्ता नहीं दिया गया, जबकि उसने इसके लिए अथक प्रयास किए, जो सेवा नियमों के प्रावधानों के विपरीत है। यह आदेश जिला जेल अधीक्षक द्वारा पारित किया गया है, जो याचिकाकर्ता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है।

7. इसके विपरीत, राज्य/उत्तरवादिगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निष्कासन आदेश विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया था। समय-समय पर, याचिकाकर्ता को विभागीय जाँच कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए नोटिस दिए गए, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए प्राधिकारी के पास याचिकाकर्ता के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता को इस आधार पर निलंबित कर दिया गया कि वह अपने कर्तव्यों से नियमित रूप से अनुपस्थित रहता था और अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार नहीं था, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करता था, तथा फर्जी यात्रा भत्ता बिल आदि प्रस्तुत करता था। रायगढ़ में पदस्थापना के समय याचिकाकर्ता के विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था और उसे 25 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया था। याचिकाकर्ता को जगदलपुर जेल में दिसंबर, 1980 से जनवरी, 1981 तक निर्वाह भत्ता दिया गया था। यहाँ तक कि याचिकाकर्ता को विभागीय जाँच कार्यवाही में उपस्थित होने के लिए यात्रा व्यय हेतु कुछ राशि भी प्रदान की गई थी। अंबिकापुर के जेल अधिकारियों ने भी याचिकाकर्ता को निर्वाह भत्ता दिया था। अतः याचिकाकर्ता का तर्क मान्य नहीं है। महानिदेशक, जेल ने मामले के सभी पहलुओं पर, उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में, और अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, याचिकाकर्ता की अपील को उचित रूप से खारिज कर दिया। अतः याचिकाकर्ता किसी भी अनुतोष का हकदार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया, तथा संलग्न अभिवचनों और दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

9. याचिकाकर्ता को कारण बताओ जारी करते हुए, दिनांक 15.12.1980 (अनुलग्नक पी/5) को आरोपों का विस्तृत विवरण और गवाहों की सूची दी गई। दस्तावेजों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया ताकि उसे उपलब्ध कराया जा सके। याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप इस प्रकार हैं:

"आरोप- पत्र

निलंबित प्रहरी श्री नागेश्वर प्रसाद के विरूद्ध लगाये गये आरोप

श्री नागेश्वर पसाद प्रहरी इस जेल में दिनांक 21-7-79 से प्रहरी के पद पर पदस्थ हैं, के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप लगाये जाते हैं :-

(1) दिनांक 6.11.1980 से 9.11.80 तक बिना छुट्टी स्वीकृति के ड्यूटी में अनपस्थित ।

(2) दिनांक 28.11.80 को ड्यूटी में अपूर्ण गणवेश में आना एवं अपने से वरिष्ठ कर्मचारी मुख्य प्रहरी ददनपति के साथ उदंडतापूर्वक व्यवहार ।

(3) दिनांक 1.12.1980 से 7.12.80 तक अपने से वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा दिये गये आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन ।

(4) दिनांक 6.12.80 को अपने से वरिष्ठ अधिकारी के सामने अनुशासनहीनता ।

(5) पिछले एक वर्ष से जानबूझकर जनरल सलामी से अनुपस्थिति ।

(6) झूठा ट्रांसफर टी०ए० एवं अवकाश यात्रा सुविधा का टी०ए० बिल प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त करना।

उनका यह कृत्य गंभीर दुराचरण एवं कर्तव्य विमुखता की श्रेणी में आती है।

सही /- अस्पष्ट.

15/2

अधीक्षक,

जिला जेल प्रथम श्रेणी,

जगदलपुर."

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. इसके बाद, याचिकाकर्ता के खिलाफ दिनाँक 28.12.1981 को दूसरा आरोप पत्र जारी किया गया जो इस प्रकार है:

"प्रहरी नागेश्वर प्रसाद (निलंबित) के विरूद्ध लगाये गये आरोप

आरोप- पत्र

श्री नागेश्वर प्रसाद प्रहरी (निलंबित) के विरूद्ध शासन को धोखा देकर स्थानान्तर एवं अवकाश यात्रा देयक में अपने पुत्र की उम्र वास्तविक उम्र से अधिक दिखाकर शासन से पात्रता से अधिक भुगतान प्राप्त करने पर दुराचरण का आरोप लगाया जाता है ।

सही / अस्पष्ट,
28/12
अधीक्षक
जिला जेल प्रथम श्रेणी
जगदलपुर (बस्तर) म०प्र०"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. याचिकाकर्ता का एकमात्र तर्क यह है कि उसे निर्वाह भत्ता नहीं दिया गया, इसलिए जाँच निष्फल रही। अध्ययन करने पर पाया गया कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 07.07.1982 (अनुलग्नक पी/6) के पत्र द्वारा निर्वाह भत्ते की माँग की थी। चूँकि याचिकाकर्ता को समय पर भत्ता नहीं दिया गया, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा एम.पी. क्रमांक 1388/1982 में पारित आदेश दिनांक 17.12.1982 के अनुपालन मे याचिकाकर्ता को 3190/- रुपये का भुगतान किया गया। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता को यात्रा व्यय सहित निर्वाह भत्ता प्रदान किया गया। ऐसा कोई अन्य दस्तावेज़ नहीं है जो इस तथ्य को दर्शाता हो कि उसके बाद किसी भी समय याचिकाकर्ता को निर्वाह भत्ता नहीं दिया गया, जिसके कारण याचिकाकर्ता जाँच में शामिल नहीं हो सका।

12. इसमें कोई विवाद नहीं है, क्योंकि यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है, कि याचिकाकर्ता को किसी अन्य कारण से जाँच कार्यवाही में भाग लेने से रोका गया था और उत्तरवादिगण का प्रकरण यह है कि कई नोटिसों के बावजूद, याचिकाकर्ता अपनी इच्छा से, कभी उपस्थित हुआ और कभी बिना सूचना के, जाँच से अनुपस्थित रहा। याचिकाकर्ता ने जाँच में किसी अन्य गड़बड़ी की ओर इशारा नहीं किया है या यह नहीं बताया है कि दर्ज किए गए निष्कर्ष बिना किसी साक्ष्य पर आधारित थे। अपीलीय प्राधिकारी ने अपने आदेश में विस्तार से विचार किया है और अपील में उठाए गए आधारों पर विचार किया है और निर्वाह भत्ते के भुगतान और उत्तरवादिगण द्वारा याचिकाकर्ता को भेजी गई कुछ राशियों को स्वीकार करने से इनकार करने पर चर्चा की है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि कुछ अवसरों पर राशि प्राप्त करने में याचिकाकर्ता की ओर से गलती हुई थी, याचिकाकर्ता को निर्वाह भत्ते का भुगतान न करने का बिन्दु उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, तथा इस रिट से यह मांग कि गई है कि विभागीय जांच दोषपूर्ण थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा घनश्याम दास श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश[1] शासन और पंजाब शासन एवं अन्य बनाम के.के. शर्मा में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करने से कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि प्रस्तुत मामले में निलंबन अवधि के दौरान याचिकाकर्ता को निर्वाह भत्ता दिया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरवादिगण द्वारा दिए गए निर्वाह भत्ते की राशि को स्वीकार करने से इनकार करना, निर्वाह भत्ते का भुगतान न करने के दायरे में नहीं आता है।

14. जहाँ तक याचिकाकर्ता को दी गई सज़ा की मात्रा का संबंध है, सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जयकरण सिंह मामले में यह अभिनिर्धारित किया था कि यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं और विभागीय जाँच की प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है, तो सामान्यतः

न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए सज़ा की मात्रा में हस्तक्षेप नहीं करता है।

15. यू.पी.एस.आर.टी.सी. बनाम राम किशन अरोड़ा[4] मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अनुसार अवलोकित किया है:

"7. उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा है कि उत्तरवादी पर लगाई गई सज़ा की मात्रा उसके कदाचार की गंभीरता के अनुपात में अधिक थी। ऐसी स्थिति में भी, उच्च न्यायालय के लिए सामान्यतः यही रास्ता बचता कि वह सज़ा की मात्रा के संबंध में विचार हेतु मामले को नियोक्ता को सौंप देता। उच्च न्यायालय बिना कोई कारण बताए अपनी राय को अनुशासनात्मक प्राधिकारी की राय के स्थान पर नहीं रख सकता था।"

16. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम नन्हे लाल कुशवाहा[5] मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अनुसार अवलोकित किया है:

----

[1] एआईआर 1973 एससी 1183
[2] 2003 एआईआर एससीडब्ल्यू 2793
[3] (2003) 9 एससीसी 228
[4] (2007) 4 एससीसी 627
[5] (2009) 8 एससीसी 772

"7. इस न्यायालय ने अनेक बार उच्च न्यायालयों द्वारा बिना कोई कारण बताए रिट याचिकाओं का निराकरण करने की प्रथा की निंदा की है। यह सर्वविदित है कि औद्योगिक न्यायाधिकरण या श्रम न्यायालय, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 11-क के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए नियोक्ता द्वारा दी गई सजा की मात्रा में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन सामान्यतः नियोक्ता द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

17. वर्दीधारी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सहानुभूति का पात्र नहीं है, क्योंकि उसकी कर्तव्य से अनुपस्थित रहने, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने, जो सिद्ध पाया गया है, और फर्जी बिलों के आधार पर राशि का दावा करने की आदत थी, अतः याचिकाकर्ता को दी गई सजा आनुपातिक है।

18. याचिकाकर्ता के इस तर्क के संबंध में कि निष्कासन आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया था, यह बिन्दु अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उठाया गया था। अपीलीय प्राधिकारी ने इस आधार को खारिज करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के अंतर्गत, जेल अधीक्षक जेल पहरी पर वृहद शासित अभिरोपित करने के लिए सक्षम है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. नियम, 1966 की अनुसूची के अनुसार (नियम 8 और 24 देखें), जेल पहरी का नियुक्ति प्राधिकारी जेल अधीक्षक होता है और वह सेवा से निष्कासन जैसे वृहद शासित सहित सभी प्रकार की के शासित अभिरोपित के लिए सक्षम होता है। अनुसूची के साथ संलग्न नोट स्पष्ट करता है कि स्तंभ (2) और (3) में उल्लिखित जेल अधीक्षक में केंद्रीय, जिला और उप-कारागारों के अधीक्षक शामिल हैं। याचिकाकर्ता की नियुक्ति केंद्रीय कारागार के अधीक्षक द्वारा की गई थी और निष्कासन आदेश जिला कारागार के अधीक्षक द्वारा पारित किया गया था। जेल अधीक्षक का तात्पर्य केवल केंद्रीय कारागार के अधीक्षक से नहीं है। अतः याचिकाकर्ता का यह तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है।

20. पूर्वोक्त के दृष्टिगत रखते और ऊपर बताए गए कारणों से, रिट याचिका में कोई गुण रहित नहीं है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

21. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

हस्ता/–
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By:- Miss Anjali Singh Chouhan (Advocate)